संख्या-सी-3-72/दस-2000-306/99

प्रेषक,

विजय कुमार शर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त(सामान्य)अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 21 जनवरी, 2000

विषयः- दिनांक 1.1.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सैनिक पेंशनरों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार सेवानिवृत्त सैनिक पेंशनरों को राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में पुनर्योजित किया जाता है। पुनर्योजन की अवधि में इन सैनिक पेंशनरों के वेतन एवं भत्तों के निर्धारण के बिन्दु पर शासन द्वारा समय-समय पर नीति निर्देश जारी किये जाते हैं। राज्य सरकार के कार्यालयों में ऐसे भी सैनिक पेंशनर पुनर्योजित हैं जो सेना से दिनांक 1.1.1996 के पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं। भारत सरकार ने अपने पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 1.1.1996 को पेंशन पर अनुमन्य मंहगाई राहत की धनराशि एवं अन्तरिम राहत की प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त एवं पेंशन की धनराशि का 40% अतिरिक्त जोड़कर मूल पेंशन में समायोजित करके पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित कर दी है। उसके उपरान्त दिनांक 1.1.1996 से उक्त समेकित पेंशन की धनराशि पर भारत सरकार द्वारा नई दरों पर मंहगाई राहत का भुगतान किया जा रहा है।

2. उपरोक्त प्रस्तर में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पेंशन की धनराशि पुनरीक्षित किये जाने पर अनेक मामले ऐसे भी पाये गये जिनमें पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण में अन्तिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाने पर पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि पुनर्योजित पद के वेतनमान के बराबर

...2...

अथवा अधिक पाई गई। इस प्रकार से एक ओर जहाँ पुनर्योजित कर्मियों के वेतन निर्धारण में कठिनाई होने लगी वहीं दूसरी ओर संबंधित कार्मिकों को आर्थिक कठिनाई भी होने लगी।

3. उपरोक्त प्रस्तर (1) एवं (2) में उल्लिखित परिस्थितियों पर सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उन प्रकरणों में जहाँ पुनर्योजित सैनिक पेंशनर दिनांक 1.1.1996 के पूर्व सेना से सेवानिवृत्त हुआ है उन मामलों में वेतन निर्धारण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जायेगी।

(I) सेना से सेवानिवृत्ति की तिथि को अनुमन्य वेतन तथा

(II) दिनांक 31.12.1995 को अनुमन्य महंगाई भत्ते की धनराशि, अन्तरिम राहत की प्रथम एवं द्वितीय किस्त तथा वेतन की धनराशि का 40% अतिरिक्त धनराशि को जोड़कर जो धनराशि आये वहीं धनराशि सैनिक पेंशनर का अंतिम आहरित वेतन मान लिया जाये तथा उक्त धनराशि से दिनांक 1.1.1996 से पुनरीक्षित पेंशन की धनराशि को घटा करके पुनर्योजित [illegible] पर वेतन निर्धारित किया जाये।

4. उपरोक्त प्रस्तर (3) में उल्लिखित व्यवस्था के साथ शासनादेश संख्या सा-3-315/दस-919/86 दिनांक 5.6.1999 में वर्णित व्यवस्था अर्थात् सैनिक पेंशन उपेक्षित किए जाने का प्राविधान भी यथावत् लागू रहेगा।

5. उपेक्षित सैनिक पेंशन की धनराशि पर किसी प्रकार के भत्ते अनुमन्य नहीं होंगे।

6. दिनांक 1.1.1996 से उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार वेतन निर्धारित किये जाने पर जो धनराशि आयेगी उसी धनराशि पर दिनांक 1.1.1996 से नई दरों पर महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।

7. सैनिक पेंशनरों के पुनर्योजन संबंधी अन्य शर्तें पूर्ववत् लागू रहेंगी।

भवदीय,

(विजय कुमार शर्मा)
सचिव।

...3...

संख्या-सा-3-721(1)/दस-2000, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
2. समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
4. निदेशक, सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. प्रधानाचार्य, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. विधान सभा/ विधान परिषद् सचिवालय, लखनऊ।

आज्ञा से,

(शिव प्रकाश)
संयुक्त सचिव।